

C/140/330/2000/ 29/2/2019

दस्तावेजों का कार्यालयी नाम इतिहास

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
दुकम तामिल से
जारी

18/2004 पत्रावली वाधि श्री भंवट सिंह के विधिक वारिसान द्वारा
 प्राप्ति पत्र वास्तु अर्जेंट सुनवाई व राजी-नामा पेश
 करने के कारण पत्रावली नियत तिथि से पूर्व आय
 दिनांक 24/8/2004 को तलब की गई। वाधि के वारिसान
 की ओर से प्राप्ति पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3
 CPC पेश किया गया जिस पर उभयपक्षकारान की
 सहमति है, अतः प्राप्ति पत्र अन्तर्गत आदेश 22
 नियम 3 CPC स्वीकार किया जाकर वाधिगण द्वारा
 पेश संशोधित इनवान शा. मिल किया जाता है
 गया वाधि के विधिक वारिसान रिपोर्ट पर लिखे जाते
 हैं। वाधि के विधिक वारिसान 1/2 व 1/2 एवं प्रतिवाधि
 द्वारा राजी-नामा के प्राप्ति पत्र में निवेश किया कि
 वाधि के वारिसानों व प्रतिवाधि के मुख्य लोक अदालत
 की भावना से राजी-नामा हो चुके हैं वे अब प्रतिवाधि
 से कोई अनुल्लेख नहीं चाहते हैं। राजी-नामा की सम्पत्ति
 वाधि के वारिसान 1/2 व 1/2 व प्रतिवाधि के हस्ताक्षर
 अंकित कर दिये गये अतः वाधि का वाड इसी स्तर
 पर खारिज किया जाता है। पत्रावली के सब युभाट
 एक नम्बर से कम है।

महल/रामेश
 सी. डी. उ. सिंह
 शंकर

जुज/अध्यक्ष अधिकारी
 न. नं. (बलापेठ)

